25/12/24

पत्रावली पास्वे लिपिक पेश हुई। प्रार्थ-
प्रार्थी उप. प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से
लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली
को [illegible] हो। नकल [illegible] हो।

GCMS 2024/362

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 156/2024
GCMS :— 2024/862
प्रविष्टी दिनांक : 18.06.2024

रामेश्वर पुत्र तखु जाति ब्राहमण निवासी ठैठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू.धारक
2. कम्मो पत्नी जीवराजसिंह
3. गणेशसिंह पुत्र जीवराजसिंह
4. सुमन कंवर पत्नी मांगसिंह
5. नरेन्द्रसिंह पुत्र मांगसिंह
6. इन्द्रसिंह पुत्र मांगसिंह

   (क्रमांक 2 से 6) अकवाम राजपूत निवासीयान ठैठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

7. सहीराम पुत्र मंशाराम जाति जाट निवासी ठैठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. क्षेत्रीय वन अधिकारी सूरतगढ़।

— अप्रार्थीगण

उपस्थिती :—
1. एडवोकेट श्री सुरेन्द्र सुथार —प्रार्थी
2. अप्रार्थी नं. 01 पैरोकार राज.

निर्णय **दिनांक : 24.12.2024**

प्रार्थी ने इस न्यायालय में धारा 251 'क' आर.टी.ए. के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि नाम से चक 3 टी.टी.डी. 'ए' के खाता नं. 120/102 के पत्थर नं. 150/12 (2) के किला नं. 16 ता 25 में 2.530 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसकी जमाबंदी सम्वत 2073 ता 76 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

प्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही ठैठार के खसरा नं. 9/4 में 1.872 है0, 9/5 में 2.024 है0 = 3.896 है0 बारानी भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का टयूब्वैल लगा हुआ है। प्रार्थी उक्त टयूब्वैल से अपने नाम की खातेदारी भूमि के चक 3 टी.टी.डी. 'ए' के खाता नं. 120/102 के पत्थर नं. 150/12 (2) के किला नं. 16 ता 25 में 2.530 है0 अनकमाण्ड खातेदारी रकबा तक अप्रार्थीया नं. 2 ता 6 के नाम अंकित भूमि रोही ठैठार के खसरा नं. 350/9 की 6.578 है0 बारानी भूमि में से व प्रार्थी के स्वंय की भूमि रोही ठैठार के खसरा नं. 199/9 में 1.970 है0 व खसरा नं. 201/9 में 1.227 है0 इस प्रकार कुल 3.197 है0 व रोही ठैठार के खसरा नं. 241/68, 246/77, 247/88, 261/94, 269/96, 276/99, की भूमि जो वन विभाग के नाम से अंकित है व अप्रार्थी नं. 07 के नाम दर्ज भूमि चक 3 टी.टी.डी. 'ए' के पत्थर नं. 150/12 के किला नं. 1 ता 15 में होते हुए 4 फुट नीचे अच्छी किस्म की पाईप दबा कर सुविधा हेतु पाईप लाईन बिछा/दबा कर सिचांई सुविधा बहाल करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्जरजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण को तामिल हेतु नोटिस भेजे गये जिसमें अप्रार्थीगण नोटिस जारी होने के बाद भी अदालत हाजा में उपस्थित नही हुए। जिनके खिलाफ अदालत द्वारा दिनांक 10.10.2024 को व दिनांक 11.12.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। एक पक्षीय कार्यवाही के बाद दिनांक 16.12.2024 को वास्ते बहस पत्रावली नियत की गयी।

क्रमशः 02 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने बहस में प्रार्थनापत्र के तथ्य को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को स्वयं की धारित भूमि रोही ठैठार के खसरा नं. 9/4 में 1.872 है0, 9/5 में 2.024 है0 = 3.896 है0 बारानी भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का टयूब्वैल लगा हुआ है से सिचांई सुविधा हेतु अप्रार्थीया नं. 2 ता 6 के नाम अंकित भूमि रोही ठैठार के खसरा नं. 350/9 की 6.578 है0 बारानी भूमि में से व प्रार्थी के स्वंय की भूमि रोही ठैठार के खसरा नं. 199/9 में 1.970 है0 व खसरा नं. 201/9 में 1.227 है0 इस प्रकार कुल 3.197 है0 व रोही ठैठार के खसरा नं. 241/68, 246/77, 247/88, 261/94, 269/96, 276/99, की भूमि जो वन विभाग के नाम से अंकित है व अप्रार्थी नं. 07 के नाम दर्ज भूमि चक 3 टी.टी.डी. 'ए' के पत्थर नं. 150/12 के किला नं. 1 ता 15 के रकबा में से 4 फुट नीचे धरातल में अच्छी किस्म की पाईप लाईन की स्वीकृति प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 3 टी.टी.डी. 'ए' के खाता नं. 120/102 के पत्थर नं. 150/12 (2) के किला नं. 16 ता 25 में 2.530 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि तक अच्छी किस्म की पाईप लाईन स्वीकृत करने के आदेश फरमाये जावे।

अतः जमाबंदी प्रति, नजरिये नक्शा, व प्रस्तुत दर्ज दस्तावेजो का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 251 'क' आर.टी.ए. स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र 251 'क' आर.टी.ए. स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी को स्वयं की धारित भूमि रोही ठैठार के खसरा नं. 9/4 में 1.872 है0, 9/5 में 2.024 है0 = 3.896 है0 बारानी भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का टयूब्वैल लगा हुआ है से सिचांई सुविधा हेतु अप्रार्थीया नं. 2 ता 6 के नाम अंकित भूमि रोही ठैठार के खसरा नं. 350/9 की 6.578 है0 बारानी भूमि में से व प्रार्थी के स्वंय की भूमि रोही ठैठार के खसरा नं. 199/9 में 1.970 है0 व खसरा नं. 201/9 में 1.227 है0 इस प्रकार कुल 3.197 है0 व रोही ठैठार के खसरा नं. 241/68, 246/77, 247/88, 261/94, 269/96, 276/99, की भूमि जो वन विभाग के नाम से अंकित है व अप्रार्थी नं. 07 के नाम दर्ज भूमि चक 3 टी.टी.डी. 'ए' के पत्थर नं. 150/12 के किला नं. 1 ता 15 के रकबा में से 4 फुट नीचे धरातल में अच्छी किस्म की पाईप लाईन की स्वीकृति प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 3 टी.टी.डी. 'ए' के खाता नं. 120/102 के पत्थर नं. 150/12 (2) के किला नं. 16 ता 25 में 2.530 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि तक अच्छी किस्म की पाईप लाईन स्वीकृत करने के आदेश फरमाये जावे व राजस्व रिकॉर्ड में नोट अंकित करने हेतु अप्रार्थी नं. 01 को आदेशित इस शर्त के साथ की प्रार्थी को 4 फुट भूमिगत अच्छी किस्म की पाईप लाईन डालने का आदेश दिया जाता है व पाईप लाईन में आयी हुई भूमि की कीमत का 10 प्रतिशत राशि खजाना राज में जमा करवायें। जमा करवाने के उपरान्त यह आदेश प्रभावी रहेगा तथा अगर किसी काश्तकार का कोई फसली नुकसान होता है तो उसकी भरपाई प्रार्थी को होगी।

आदेश सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़